

कार्यालय, संचित निरीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर।
असाल्ट क्षेत्र

क्र.सं.		धारा 4(1)(ख) के तहत 17 श्रेणियों का विवरण
1.	संगठन का विवरण अनुभाग।	राजस्थान पुलिस अकादमी असाल्ट क्षेत्र,
2.	अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ।	(क) सहायक निदेशक (आउटडोर) – संबंधित आउटडोर गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व। (ख) पुलिस उप अधीक्षक (आउटडोर) – संबंधित आउटडोर गतिविधियों का सम्पादन। (ग) संचित निरीक्षक(प्रशासन) – संबंधित आउटडोर गतिविधियों का प्रबन्धन एवं पर्यवेक्षण। (घ) अन्य संकाय सदस्य 55 – प्रदत्त कार्यों का सम्पादन।
3.	निर्णय बनाने के लिए प्रक्रिया।	सहायक निदेशक(आउटडोर) के एवं समुचित माध्यम द्वारा प्रस्ताव प्रेषित कर निदेशक महोदय के अनुसार निर्णय किये जाते हैं।
4.	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदण्ड।	नियमानुसार प्रशिक्षण के कार्यों के निर्वहन के मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए आउटडोर प्रशिक्षण के निर्धारित समस्त कर्तव्यों का सम्पादन। इसके साथ ही प्रशिक्षण की आवश्यकतानुसार आउटडोर संकाय के दायित्वों के संबंध में मानक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार विविध कार्यों का सम्पादन।
5.	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम।	➤ RSR, RPR & Other Circular Issued By PHQ ➤ प्रशिक्षण निदेशालय, निदेशक आरपीए, उप निदेशक एवं प्राचार्य, आरपीए, सहायक निदेशक (आउटडोर), आरपीए, पुलिस उप अधीक्षक (आउटडोर) द्वारा जारी नियम, विनियम, परिपत्रों के अनुसार कार्यों का सम्पादन। ➤ आउटडोर प्रशिक्षण सकाय हेतु दायित्वों के सम्बन्ध में जारी मानक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार विविध कार्यों का सम्पादन। समय-समय पर जारी अन्य विनियम।
6.	श्रेणियों का विवरण।	असाल्ट संबंधी रजिस्ट्रार
7.	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।

8.	परामर्शदात्री समितियां अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
9.	अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका।	सहायक निदेशक (आउटडोर), फोन नं.-0141-2302131, पी.बी.एक्स नं0-506, 507.
10.	अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक।	लेखा शाखा।
11.	बजट प्रत्येक एजेन्सी को आवंटित।	लेखा शाखा।
12.	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन।	लागू नहीं।
13.	रियायते, परमिट पाने वाले का ब्यौरा।	लागू नहीं।
14.	एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना।	लागू नहीं।
15.	नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं।	सहायक निदेशक प्रशासन आरपीए जयपुर के आवेदन अनुसार
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम विशिष्टताएं।	सहायक निदेशक प्रशासन एवं लोकसूचना अधिकारी एवं निदेशक आरपीए प्रथम अपील अधिकारी।
17.	ऐसी अन्य सूचनाएं।	समय समय पर संबंधित सूचना को प्रकाशित किया जाता है।